कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2561/11–सी–FP/UP/Road/36788/2018, लखनऊ, दिनांकः जून 26,2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर।

विषयः– जनपद–गोरखपुर में सोनौली–गोरखपुर मार्ग (रा0मा0 सं0–29ई0) के किमी0 81.420 (जंगल कौड़िया) से किमी0 98.945 (मोद्दीपुर चौराहा) तक भाग को 4 लेन में चौड़ीकरण कार्य के अंतर्गत किमी0 85.500 (मानीराम रेलवे क्रासिंग) पर प्रस्तावित आर0ओ0बी0 के निर्माण में प्रभावित 0.19384 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/25/2019/एफ0सी0/36, दिनाँक–10.04.2019 एवं इस कार्यालय का पृष्ठांकन संख्या–1951/11–सी–FP/UP/Road/36788/2018, दिनांक 12.04.2019 तथा आपका पत्रांक–4558/2–6, दिनांक 24.06.2019

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण सूचना/अभिलेख आपने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया, जिसके परीक्षणोपरान्त पुनः निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का अभाव पाया गयाः–

1. भारत सरकार की आपत्ति सं0–1 के निराकरण के क्रम में आपके द्वारा प्रस्तावित स्थल का संशोधित Geo Referenced Digital Map एवं KML फाइल की सीडी संलग्न नहीं की है तथा ऑनलाइन भाग–1 में प्रस्तावित वनभूमि की गलत KML फाइल अपलोड की गयी है।
2. भारत सरकार की आपत्ति सं0–2 के निराकरण के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र दिनांक 22.06.2019 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का क्षेत्रफल 0.19384 के दुगने अर्थात 0.38768 के स्थान पर 0.38678 अंकित किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित पत्र संलग्न करे।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण करते हुये भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा की गयी आपत्तियों का पूर्ण निराकरण कर सूचना/अभिलेख 03 प्रतियों में प्रेषित करने का कृष्ट करे।

भवदीय

26/6

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–2561/11–सी– FP/UP/Road/36788/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर।
2. कार्य अधीक्षक, अ0वि0नि0ई0 (रा0मा0), लो0नि0वि0, गोरखपुर।

ई-मेल

पत्रांक-4656/2-6, दिनांक, गोरखपुर, जून, 28/2019.
प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया पत्र में दिये गये निर्देशों का विद्यमान आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख चार प्रतियों में प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

26/6

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

मुख्य वन संरक्षक
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।